

न्यायालय-राकेश सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

क्रमांक- 91 / सी.जे.एम. / 2026

नरसिंहपुर, दिनांक- 30/05/26

:: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश :: (अंतर्गत धारा 12 बी.एन.एस.एस. 2023)

प्रशासनिक दृष्टि से, मैं राकेश सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरसिंहपुर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर के अनुमोदन के उपरांत आगामी आदेश तक प्रभावी होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राकेश सनोडिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर (म.प्र.)	A <u>आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी।</u> B <u>आरक्षी केन्द्र यातायात नरसिंहपुर</u>	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, यातायात से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 4. राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 5. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण। 8. आबकारी बृत्त नरसिंहपुर एवं करेली द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

			9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र। 10. तेजाब फैककर क्षति या उपहति करने विषय आपराधिक प्रकरण। 11. सम्पूर्ण जिले के बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 12. जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर खारिजी। 13. जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम एवं खनिज विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियां। 14. सी.जे.एम न्यायालय को छोड़कर जिले के किसी दण्ड न्यायालय या लोक सेवक सिविल या राजस्व द्वारा धारा 215, 217 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 15. साइवर कार्डम से संबंधित मामले। 16. नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 17. रेल्वे अधिनियम 1980 के अंतर्गत (विशेष रेल्वे न्यायालय के अतिरिक्त) प्रकरण। 18. सिनेमेटोग्राफी एक्ट। 19. मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि जे.एम.एफ.सी. न्यायालय की अधिकारिता से अधिक हो। 20. केवल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1989। 21. छावनी अधिनियम। 22. ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट से संबंधित मामले 23. सम्पूर्ण जिले के म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 24. सम्पूर्ण जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 25. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जिले के समस्त थानों से संबंधित कार्यवाहियां। 26. नरसिंहपुर तहसील से उद्भूत खाद्य सुरक्षा
		C <u>सम्पूर्ण जिला</u> <u>नरसिंहपुर</u>	
		D <u>सम्पूर्ण तहसील</u> <u>नरसिंहपुर</u>	

			और मानक अधिनियम 2006, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 27. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 28. दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 29. अन्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
2	सुश्री ऋचा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	A किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर	1. किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। 2. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
3	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (म0प्र0)	A <u>आरक्षी केन्द्र सुआतला, जी. आर.पी., अ.जा.क</u> (ऐसे मामले जो गाडरवारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।) B जिला न्यायालय परिसर एवं गाडरवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव सिविल न्यायालय परिसर C ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण।	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र सुआतला, जी.आर.पी., अ.जा.क से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (आरक्षी केन्द्र अ.जा.क से संबंधित माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र सुआतला से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र। 3. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 से संबंधित प्रकरण। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 6. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के पालन में ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण।
4	श्रीमती ऐश्वर्या जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	A <u>आरक्षी केन्द्र करेली</u> (ऐसे मामले जो गाडरवारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र करेली से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र करेली से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के

		अंतर्गत नहीं आते है।) B महिला थाना नरसिंहपुर C आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, करेली, मुंगवानी, ठेमी, सुआतला जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर, अ.जा. क. नरसिंहपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित महिलाओं से संबंधित वह प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।	प्रकरण एवं प्राईवेट परिवार प्रकरण। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 4. महिला थाना नरसिंहपुर के अंतर्गत तहसील नरसिंहपुर एवं तहसील करेली की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना करेली एवं पुलिस थाना सुआतला के ऐसे गांव जो तहसील करेली में आते है, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तथा पुलिस थाना मुंगवानी एवं ठेमी के ऐसे गांव जो तहसील नरसिंहपुर के सीमा क्षेत्र में आते है, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 5. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर (आरक्षी केन्द्र करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर के ऐसे प्रकरण (जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गाडरवारा न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), मुंगवानी, ठेमी (ऐसे प्रकरण जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गोटेगांव न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), एवं अ.जा.क नरसिंहपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 6. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (माननीय कुटुम्ब न्यायालय के अंतर्गत एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस संबंधी समस्त मामले।
5	श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (म0प्र0)	A आरक्षी केन्द्र मुंगवानी (आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो गोटेगांव तहसील के क्षेत्र से संबंधित न होकर केवल नरसिंहपुर	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित हों तथा गोटेगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत न होकर गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते है) 2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली नरसिंहपुर एवं मुंगवानी के अंतर्गत समस्त प्राईवेट परिवार पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण।

		तहसील से संबंधित हो)	3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
		B <u>आरक्षी केन्द्र कोतवाली नरसिंहपुर</u> के अंतर्गत समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण।	
6	श्री दिव्यांश लौवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	A <u>आरक्षी केन्द्र ठेमी</u> (आरक्षी केन्द्र ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित होकर नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हों) B <u>आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर</u> के अंतर्गत समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण।	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र ठेमी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (आरक्षी केन्द्र ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित हों तथा गोटेगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत न होकर गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) 2. आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर एवं ठेमी के अंतर्गत समस्त प्राईवेट परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।

गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म0प्र0

7	श्री अजय सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A <u>आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, डोंगरगांव</u> B <u>जी.आर.पी. गाडरवारा</u>	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, डोंगरगांव एवं जी.आर.पी. गाडरवारा (जी.आर.पी. गाडरवारा के ऐसे मामले जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गाडरवारा एवं डोंगरगांव से संबंधित प्राईवेट
---	---	--	--

		C सम्पूर्ण तहसील गाडरवारा D खनिज विधियों एवं वन विधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। E ग्राम न्यायालय गाडरवारा	परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण। 3. तहसील गाडरवारा के आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत मामले। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 6. सम्पूर्ण गाडरवारा तहसील से उद्भूत सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, के अंतर्गत प्रकरण। 7. सम्पूर्ण तहसील गाडरवारा के क्षेत्र के अंतर्गत खनिज विधियों एवं वन विधियां एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण तथा जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियां। 8. नगर पालिका अधिनियम से संबंधित तहसील गाडरवारा से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 9. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के पालन में ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण।
8	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A <u>आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, चीचली, साईंखेड़ा, डोंगरगांव, पलोहा, करेली, सुआतला, जी. आर.पी</u> से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित प्रकरण। B महिला थाना नरसिंहपुर	1. आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, चीचली, साईंखेड़ा, डोंगरगांव, पलोहा, करेली, सुआतला (आरक्षी केन्द्र करेली, सुआतला से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।) के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस से संबंधी समस्त मामले। 3. महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील गाडरवारा की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना करेली एवं सुआतला के ऐसे

				गांव जो तहसील गाडरवारा में आते हैं, उनमें दृष्टित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
9	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A	<u>आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा</u>	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
10	श्री विनय सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A	<u>आरक्षी केन्द्र पलोहा, चीचली, करेली एवं सुआतला</u> (आरक्षी केन्द्र करेली एवं सुआतला से उत्पन्न ऐसे अपराधिक प्रकरण जो गाडरवारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं)	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र पलोहा, चीचली, करेली एवं सुआतला (थाना करेली एवं सुआतला के ऐसे मामले जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र पलोहा, चीचली, करेली एवं सुआतला से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।

तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

11	श्री शिव कांत कुशवाहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तेंदूखेड़ा (म0प्र0)	A	<u>आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा</u>	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से उत्पन्न आपराधिक परिवाद प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. तहसील तेंदूखेड़ा के आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील
----	---	---	--------------------------------------	--

		B <u>महिला थाना नरसिंहपुर</u> C सम्पूर्ण तहसील तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना सुआतला तथा पुलिस थाना गाडरवारा के ऐसे गांव जो तहसील तेंदूखेड़ा में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 5. आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति कूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 6. आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस संबंधी समस्त मामले। 7. तहसील तेंदूखेड़ा से उद्भूत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खनिज विधियों एवं वन विधियों, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण विधि के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित तहसील तेंदूखेड़ा से संबंधित आपराधिक प्रकरण तथा जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियां। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दाण्डिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
--	--	---	---

गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

12	सुश्री साक्षी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोटेगांव (म0प्र0)	A <u>आरक्षी केन्द्र गोटेगांव एवं उससे संबंधित चौकी।</u> B महिला थाना नरसिंहपुर	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गोटेगांव से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव से उत्पन्न आपराधिक परिवाद प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. तहसील गोटेगांव के आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. तहसील गोटेगांव से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खनिज विधियों एवं वन विधियों व वन्य प्राणी के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित
----	---	--	---

			तहसील गोटेगांव से संबंधित आपराधिक प्रकरण तथा जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियां। 5. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, मुंगवानी, ठेमी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 6. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस संबंधी समस्त मामले। 7. महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील गोटेगांव की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना मुंगवानी एवं पुलिस थाना ठेमी के ऐसे गांव जो तहसील गोटेगांव में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दाण्डिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना।
13	श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोटेगांव (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र मुंगवानी एवं ठेमी (आरक्षी केन्द्र मुंगवानी एवं ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल गोटेगांव तहसील क्षेत्र से संबंधित हों तथा नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत न होकर गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों)	1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र मुंगवानी एवं ठेमी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र मुंगवानी एवं ठेमी से उत्पन्न आपराधिक परिवाद प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दाण्डिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना।

सामान्य निर्देश :-

1. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का प्रभाव अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के पूर्व की रिमांड कार्यवाही व विविध कार्यवाहियों को छोड़कर पूर्व से लंबित प्रकरणों पर नहीं होगा।
3. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2022 के अनुसार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संसोधन के अनुसार समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी क्षेत्राधिकारिता रखने वाले संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 52क एन.डी.पी.एस एक्ट के प्रस्तुत आवेदन का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश के **परिशिष्ट-अ** के अनुसार करेंगे तथा श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर से धारा 52क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे एवं उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं उपलब्ध न रहने की स्थिति में उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कार्य संपादित किया जावेगा।
4. जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर या अन्यथा बाहर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में तत्कालीन आवश्यक कार्य की व्यवस्था इस आदेश के साथ संलग्न **परिशिष्ट ब** के अनुसार होगी तथा धारा 183 बी.एन.एस.एस के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लिपिबद्ध करने के लिए **परिशिष्ट अ** के अनुसार व्यवस्था होगी।
5. नरसिंहपुर जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट माह में एक बार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर को पूर्व सूचित करने के पश्चात मोटरयान अधिनियम के तहत चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
6. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
7. जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं धारा-144 से 147 बी.एन.एस.एस. से संबंधित प्रकरणों **(उन प्रकरणों को छोड़कर जो माननीय कुटुम्ब न्यायालय या ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हैं या निराकृत हैं)** में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेगें एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
8. तहसील मुख्यालय गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस से संबंधित प्रकरणों **(उन प्रकरणों को छोड़कर जो ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है या निराकृत हैं)** से संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां अधिकारिता रखने वाले न्यायालय क्रमशः सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा, श्री शिव कांत कुशवाहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा एवं सुश्री साक्षी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव के द्वारा सम्पादित किया जावेगें एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
9. जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर रिक्त न्यायालयों के पूर्व के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस में पारित आदेशों से संबंधित निष्पादन कार्यवाही एवं विविध कार्यवाहियां जिला मुख्यालय नरसिंहपुर

- में श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर एवं तहसील गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव में कमशः सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा, श्री शिव कांत कुशवाहा, जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा एवं सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव द्वारा सम्पादित की जावेगी।
10. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला नरसिंहपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।
 11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारिता में मामले के निराकरण हेतु पूर्व से दूर प्रोग्राम तैयार कर जानकारी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर को देंगे।
 12. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में, अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे एवं कार्यदिवस की दशा में माननीय विशेष न्यायालयों के समक्ष ही प्रथम रिमांड की कार्यवाही संपादित की जावेगी।
 13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
 14. वर्तमान में अस्तित्व में न होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
 15. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय रिक्त नहीं है, तो ऐसी दशा में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को उसी न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, जिस न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है।
 16. धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
 17. महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में स्थायी वारंट की स्थिति में वर्तमान में महिलाओं से संबंधित मामलों में अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
 18. ऐसे सभी आवश्यक दाण्डिक कार्य जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
 19. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन तहसील नरसिंहपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
 20. विचाराधीन बण्डल फाइल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावें।
 21. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
 22. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन/खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.) का निराकरण करेंगे।
 23. पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, की अपील/निगरानी में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के

- द्वारा एवं गाडरवारा में सुश्री प्रमिला राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा, तेंदूखेड़ा में श्री शिव कांत कुशवाहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव में श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव के द्वारा किया जावेगा।
24. धारा 183 बी.एन.एस.एस के आवेदनों के निराकरण के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जावेगा, यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास धारा 183 बी.एन.एस.एस के आवेदन से संबंधित मूल आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, तो इनके द्वितीय प्रभारी/तृतीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 बी.एन.एस.एस के आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।
25. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा 187(2) बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।
26. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर देंगे।
27. धारा 196(1) बी.एन.एस.एस के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है।

वर्ष 2026-27

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी.	01.04.26	31.05.26
2.	श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी.	01.06.26	31.08.26
3	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	01.09.26	31.10.26
4	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, जे.एम.एफ.सी.	01.11.26	31.12.26
5.	सुश्री रिचा जैन, जे.एम.एफ.सी.	01.01.27	31.03.27

30. तहसील न्यायालय गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही धारा 196(1) बी.एन.एस.एस के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु अधिकृत किया जाता है।
31. यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

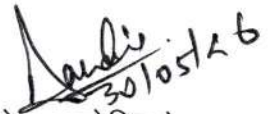
नोट-किसी न्यायालय के आवश्यक कार्य में क्रमांक 32, 33 एवं 34 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।

32. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, सुपुर्दगीनामा आवेदन, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करना चाहता है।
33. ऐसे मामले जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हैं एवं अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करने के लिए तत्पर हैं, तो संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का प्रभार के दौरान निराकरण करेंगे तथा ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

34. जहां पीठासीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर है और उनके समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण में कोई ऐसा साक्षी उपस्थित हुआ है, जिसका वृद्धावस्था, बीमारी या आने वाले स्थान से अत्याधिक दूरी, सेवा शर्तों के कारण अवकाश ना मिलने, आने-जाने में अत्याधिक व्यय होने आदि कारणों से पुनः साक्ष्य हेतु उपस्थित होना असाध्य, अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या अत्यंत असुविधाजनक है, वहां पर ऐसे मामले वापस लिये जाकर इन्चार्ज मजिस्ट्रेट को उक्त दिनांक को विधिवत निराकरण हेतु अंतरित समझे जाएंगे और इन्चार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्षी का कथन लिपिबद्ध किया जाएगा।
35. इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेखित महिलाओं से संबंधित अपराधों के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 199, 200, 74, 78, 79, 81, 82, 85, 88 बी.एन.एस एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले तथा इनसे संबंधित परिवाद पत्र, खात्मा एवं संबंधित प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां व विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां शामिल है।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महोदय) द्वारा अनुमोदित।


Principal District & Sessions Judge
Narsinghpur (M.P.)


(राकेश सनोड़िया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म0प्र0

परिशिष्ट-अ

इस सारणी में दर्शाये गए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन एवं संस्वीकृति का अभिलेखन उनके समक्ष दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।

नरसिंहपुर

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार	पंचम प्रभार
1	कोतवाली, यातायात	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ.सी.	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.
2	स्टेशनगंज	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.
3	सुआतला	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.
4	ठेमी, अ.जा.क	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ.सी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.
5	करेली, जी.आर.पी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.
6	मुंगवानी	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.
7	न्यायालय नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, महिला थाना, करेली, अ.जा.क. जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर, सुआतला, मुंगवानी, ठेमी, (उक्त आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी.

8	न्यायालय नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, महिला थाना, करेली, अ.जा.क, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर, सुआतला, मुंगवानी, ठेमी, (उक्त आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में) महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी.	श्रीमती सीमा धाकड़ जे.एम.एफ. सी.	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी.
---	---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------

// गाडरवारा //

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	गाडरवारा, जी.आर.पी. गाडरवारा, साईंखेड़ा, डोंगरगांव	श्री विनय सोनी, जे.एम.एफ.सी.	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी.	सुश्री कृतिका सिंह, जे.एम.एफ.सी.
2	करेली, सुआतला, पलोहा, चीचली	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी.	सुश्री कृतिका सिंह, जे.एम.एफ.सी.
3	न्यायालय गाडरवारा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, डोंगरगांव, चीचली, साईंखेड़ा जी.आर. पी. पलोहा, करेली, सुआतला से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले, जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी.	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ. सी.	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी.
4	न्यायालय गाडरवारा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, डोंगरगांव, चीचली, साईंखेड़ा जी.आर. पी. पलोहा, करेली, सुआतला में महिलाओं से	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी.	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ. सी.

संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले			
---	--	--	--

// तेंदूखेड़ा //

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा
2	तहसील मुख्यालय तेंदूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा
3	तहसील मुख्यालय तेंदूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह, जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री विनय सोनी, जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा

// गोटेगांव //

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार	पंचम प्रभार
1	गोटेगांव	श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
2	ठेमी, मुंगवानी	सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर

3	तहसील मुख्यालय गोटेगांव, के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी (उक्त ठेमी, मुंगवानी आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
4	तहसील मुख्यालय गोटेगांव, के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी (आरक्षी केन्द्र ठेमी, मुंगवानी के वह प्रकरण जो गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।) से उद्भूत वह आपराधिक मामले जो महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले।	सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर

नोट :- 1. इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में यदि धारा 183 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत कथन लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कथन किसके द्वारा लेख किया जावेगा तो ऐसे मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जावेंगे।

2. यदि किसी ब्लात्संग पीड़ित महिला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन हेतु 24 घंटे के भीतर अवकाश के दिन प्रस्तुत किया जाता है तो उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पीड़ित महिला का कथन लेख किया जावेगा।

3. यदि उपरोक्त अनुसूची के अनुसार धारा 183 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत कथन लेख करने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उस मामले के विचारण

का क्षेत्राधिकार होना पाया जावे तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 183 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत कथन लेख किया जावेगा।


(राकेश सनोडिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नरसिंहपुर द्वारा अनुमोदित।


Principal District & Sessions Judge
Narsinghpur (M.P.)

परिशिष्ट ब

नरसिंहपुर जिले एवं तहसील गाडरवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/अनुपस्थित या अन्य कर्तव्य में व्यस्त रहने की स्थिति में, उनके नाम के अगले कम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा उस न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

// जिला मुख्यालय नरसिंहपुर //

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार	पंचम प्रभार
1	श्री राकेश सनोडिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
2	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
3	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर
4	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
5	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर
6	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
7	श्री दिव्यांश लौवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर

// तहसील गाडरवारा //

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा

2.	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री विनय सोनी सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा
3.	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा
4.	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा

// तहसील तेंदूखेड़ा //

क	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	श्री शिवकांत कुशवाहा, जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा	सुश्री कृतिका सिंह जे.एम.एफ. सी. गाडरवारा	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ. सी. गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा

// तहसील गोटेगांव //

क0	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार	पंचम प्रभार
1.	सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	सुश्री प्रमिला राय जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री दिव्यांश लौवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर
2.	श्रीमती प्रियंवदा एस.राजोरिया जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव	श्रीमती सीमा धामड़ जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ. सी. नरसिंहपुर	सुश्री ऋचा जैन जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर

(राकेश सैनीड़िया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म.प्र.)

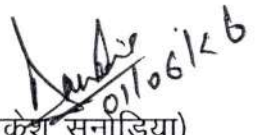
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नरसिंहपुर द्वारा अनुमोदित।

Principal District & Sessions Judge
Narsinghpur (M.P.)

पृष्ठांकन क्रमांक : 316/2026
प्रतिलिपि-

नरसिंहपुर दिनांक 01/06/26

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय (एट्रोसिटी), नरसिंहपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. जिला कलेक्टर नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को कार्य विभाजन पत्रक की प्रति भेजकर सूचित करें।
9. जिला अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 11. सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय नरसिंहपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य विभाजन आदेश समस्त न्यायाधीशगण नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/ गोटेगांव के ईमेल पर अपलोड किया जावे।
12. केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय/पूछताछ कार्यालय, जिला न्यायालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


(राकेश सनोड़िया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म.प्र.)